भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 217

दिनांक 02.02.2022 को उत्तर देने के लिए

राज्यों के पिछड़ेपन पर नीति आयोग की रिपोर्ट

217. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन तथा कुछ अन्य पिछड़े राज्यों, जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में औद्योगिक विकास के मामले में अंतिम सोपान पर खड़े हैं, में औद्योगिक विकास के लिए जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों की तर्ज पर इन्हें विशेष राज्य का दर्जा देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) नीति आयोग ने राज्यों के पिछड़ेपन के संबंध में कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। हालांकि, 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का उच्चतम अनुपात सबसे अधिक है, जो राज्य की जनसंख्या का 51.91% है, इसके बाद झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% है।

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा अतीत में कुछ राज्यों को उन मुद्दों जिन पर विशेष विचार करने की आवश्यकता होती है, जैसे, पहाड़ी और दुर्गम भू-भाग, कम जनसंख्या घनत्व, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के साथ सामरिक स्थान; आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन; और राज्य वित्तीय साधनों की गैर-व्यवहार्य प्रकृति के आधार पर विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था।

तत्पश्चात्, चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने राज्यों के बीच साझायोग्य करों के समस्तरीय वितरण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया है। राज्यों की कुल आवश्यकताओं और चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने पहले ही 2015-20 की अवधि के लिए राज्यों को करों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों को निवल साझायोग्य करों के साथ निधियों के वर्धित अंतरण को भी 41% (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण 1% की कमी) पर बनाए रखा है। इसका उद्देश्य कर अंतरण के माध्यम से प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को यथासंभव भरना और राज्यों को और अधिक असंबद्ध संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 2015 में बिहार के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की भी घोषणा की।

इस पृष्ठभूमि में बिहार सहित किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****